मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–069/2024

1 राय सिंह पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी शालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. रामजीलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी शालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज देवी पुत्री मनफूलराम पौत्री गणपतराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सावत्री देवी पुत्री मनफूलराम पौत्री गणपतराम पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. पुष्पा देवी पुत्री मनफूलराम पौत्री गणपतराम पत्नी पतराम जाति जाट निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. विमला देवी पुत्री मनफूलराम पौत्री गणपतराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

<u>डिक्री</u> दिनांक :–29/11/24

वादी की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....को सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार [illegible] जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में [illegible] नम्बर चक 5 एम. के. एस. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 [illegible] में अंकित कुल 13. 155 हैक्टेयर कृषि भूमि में 1/16 [illegible] के. एस. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 88/38 में अंकित कुल 6.743 हैक्टेयर कृषि भूमि में 428/7979 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के दादा गणपत पुत्र जिसुख का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि
मस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
ज्या जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा
हरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव
हीं किया जावेगा।
र्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को
रे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

ी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
र पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
क्त पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
र्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
मिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
देशिका की तामिल	--		
ा	--	योग	--

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:23:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner